


बिहार सरकार  
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

-----  
आदेश

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के नियंत्रणाधीन कार्यरत श्री श्याम सुन्दर शर्मा, निलम्बित आपूर्ति निरीक्षक, हसनपुरा, सिवान को उनसे प्राप्त अभ्यावेदन पर विचारोपरान्त तत्काल प्रभाव से निलम्बन से मुक्त किया जाता है ।

2. श्री शर्मा द्वारा निलम्बन अवधि में बितायी गयी अवधि के वेतनादि के भुगतान पर निर्णय उनके विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही के फलाफल पर लिया जायेगा ।


  
10/4/2013  
(सुरेश ठाकुर)

ज्ञापांक-प्र08गो0आ0सिवान-50/2012 2243

सरकार के संयुक्त सचिव ।

/खाद्य,पटना/दिनांक 10.4.2013.

प्रतिलिपि- प्रमंडलीय आयुक्त सारण प्रमण्डल, सारण/जिला पदाधिकारी, सिवान/जिला आपूर्ति पदाधिकारी, सिवान/संबंधित अनुमण्डल पदाधिकारी, सिवान/प्रशाखा पदाधिकारी-03/श्री अफजल आजमी, आई0टी0 मैनेजर, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग तथा श्री श्याम सुन्दर शर्मा, आपूर्ति निरीक्षक, हसनपुरा, सिवान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

  
10/4/2013  
सरकार के संयुक्त सचिव ।